प्रेस विज्ञप्ति

18/06/2026

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के उल्लंघन के मामले में मेसर्स ज़ाइफाई टेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 10.06.2026 को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) की धारा 15 के अंतर्गत मेसर्स ज़ाइफाई टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण में कंपाउंडिंग आदेश जारी किया है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के विरुद्ध फेमा, 1999 के अंतर्गत शमित उल्लंघनों के संबंध में चल रही कार्यवाही समाप्त हो गई है। उक्त आदेश प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अनापत्ति प्रदान किए जाने के पश्चात भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पारित किया गया है।

इस प्रकरण में प्राप्त विश्वसनीय सूचना के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अंतर्गत जांच प्रारंभ की गई। जांच पूर्ण होने के पश्चात प्रवर्तन निदेशालय ने फेमा की धारा 16 के अंतर्गत न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन दायर किया, जिसमें निम्नलिखित फेमा उल्लंघनों को इंगित किया गया, जिनकी कंपाउंडिंग की गई है—

• अंतःप्रेषण (इनवर्ड रेमिटेंस) की रिपोर्टिंग में विलंब — अधिसूचना संख्या फेमा 20/आरबी-2000 दिनांक 03 मई 2000, यथाप्रवृत्त, की अनुसूची-I के पैरा 9(1)(क) का उल्लंघन।

• शेयर निर्गम के पश्चात प्रपत्र एफसी-जीपीआर दाखिल करने में विलंब — अधिसूचना संख्या फेमा 20/आरबी-2000 दिनांक 03 मई 2000, यथाप्रवृत्त, की अनुसूची-I के पैरा 9(1)(ख) का उल्लंघन।

तत्पश्चात कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 15 के प्रावधानों के अनुसार उक्त उल्लंघनों के कंपाउंडिंग हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। भारतीय रिज़र्व बैंक के संदर्भ पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अधिनियम की भावना के अनुरूप उक्त कंपाउंडिंग हेतु अनापत्ति प्रदान की गई। तदनुसार, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी अनापत्ति के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10.06.2026 के कंपाउंडिंग आदेश के माध्यम से उक्त उल्लंघनों की कंपाउंडिंग ₹26,080/- की एकमुश्त राशि के भुगतान पर किया है। इसके परिणामस्वरूप कंपनी के विरुद्ध उपर्युक्त उल्लंघनों के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अंतर्गत लंबित न्यायनिर्णयन कार्यवाही तथा उससे संबंधित अन्य विधिक कार्यवाहियां समाप्त हो गई हैं।